Annexure-1

## FORM-I

For linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collecor Uttarkashi.

Name of Project:- Construction of Hanumanchatti to Pindki Madesh Motor

Road.

No. 68

Dated. 1912/15

# TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (FoEF) Government of india's letter No 11-9/98-FC (pt-) dated 3 rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th february 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.598 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Construction Division P.W.D. Bharkot in Uttarkashi District falls within jurisdiction of Pindki Madesh village in Barkot tehsils.

#### It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.598** hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee (s) Gram sabha (s) Sub-Division Level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal groups and preagricultural communities.

Encl: As above

(Indudhar Baurai) District Magistrate,

उच्च रका श

# OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE DISTRICT Uttarkashi(U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Indudhar Baurai I.A.S.District Magistrate Uttarkashi on date 09-12-2014 at Uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring 2.598 heet for the Construction Division P.W.D. Bharkot of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Bharkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Uttarkashi Dated: 19/2/15

> (Indudhar Baurai) District Magistrate-cum-Chairman District Level Committe

> > उत्तरका अरे

यन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम पिण्ड की तहसील-ब्येंड्रकी के जिला के देश के (2)

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तराया के अन्तर्गत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत प्रकर्भ होद श द्वारा दिनांक. [१-!-! को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनयम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम — प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपित नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / -ग्राम सचिव

नोट :- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

### प्रपत्र-23.1

दिनांक .....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत पिड को निवास

कमांक	स्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	3/92/17	4118180/41
(2)	(32117/5E)_	CANAL.
3	2300 297 104	AC 100
H	22かモー	विद्यमार्ग
(3)	a 41923418	21 Eezewe
16	G909(WE	19-57845
Fil	2 12 SUGE	Ella Cen ?
(8)	C) 00 0/7/10 0	add ?
(9)	443060	D HOYANTE
(6)	432912 16E	Sed West
(17)	2140-	40000 a - 0
(9.50)	साव तसि ह	त्साच रहा
(13)	44784	
(ly)	अमेर्ज खिट	mtchs.
(10)	(dou) 6 /2 G	Du wa
(16)	20126-	4911148
(17)	SHIP! O	77215120
(10)	787/HED	of allies
12	22011111111	71
(20)	3	21 cm (d/S

ह0 /- जिल्ला हैवी ग्राम प्रधान कार्यालय उप जिलाधिकारी, न्यून्य अनुसूचित जनजाति और परम्परागैत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, न्यून्य –

उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत पिठिको के दिशे को दिशे को दिशे कि एवं सोयम वन भूमि ......है। वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल रे 59 के है। वन भूमि ) काली के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील क्ष्र इक्षर ) की दिनांक को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री देश की विवस्त की अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री प्राप्त - उपजिलाधिकारी - अध्यक्ष 2- श्री प्राप्त विकार - उप प्रभागीय वनाधिकारी - सदस्य श्री 3- श्री सप्पाद प्रसाद सहायक समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य / सचिव / श्री 4- श्री - वी०डी०सी० क्षेत्र - सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

पिष्ठडकी अदश हिता करें हता के परियोजना हेतु के इंग्लिहें वन भूमि

——— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजिनक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ——द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड दिस्मिन के अन्तर्गत

परियोजना के निर्माण हेतु 2.......है० वन
भूमिला निर्माण निर्माण कर प्रत्यावर्तित किये
जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, जिलाधिकारी, जीर की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।